रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 486] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 1971/भाद्र 29, 1893

No. 486] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 1971/BHADRA 29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September 1971

S.O. 3513.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of Kerala or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply [not being any such service falling under sub-clause (viii) of clause (a) aforesaid] would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares every such service to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. EL.II.17(117)/71.]

S. N. Vinze, Joint Secretary.

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1971

का० आ० 3513.—आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, जिसकी यह राय है कि केरल राज्य में जनता को विद्युत् ऊर्जा के प्रदाय से या ऐसे प्रदाय के प्रयोजनार्थ विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, भंडारकरण या पारेषण से सम्बन्धित ऐसी किसी सेवा में (जो पूर्वोक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (viii) के अधीन आने वाली सेवा न हो) हड़तालों के परिणामस्वरूप समुदाय को गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हर ऐसी सेवा को, एतद्द्वारा, आवश्यक सेवा घोषित करती है ।

[सं० ई० एल० II–17(117)/71]

श्री० ना० विंझे, संयुक्त सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 20th September 1971

S.O. 3514:—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any service in the State of Kerala connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply, which has been declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power, S.O. 3513, dated the 20th September, 1971, to be an essential service for the purposes of the said Act or which falls under sub-clause (viii) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the said Act.

[No. EL.II.17(117)/71.]

S. N. VINZE, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर 1971

का० आ० 3514.—यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में निम्नलिखित आदेश करना आवश्यक है :

अतः अब, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केरल राज्य में ऐसी किसी सेवा में हड़तालों का प्रतिषेध करती है जो जनता को विद्युत् ऊर्जा के प्रदाय से या ऐसे प्रदाय के

प्रयोजनार्थ विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, भंडारकरण या पारेषण से सम्बन्धित है जो भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3513 तारीख 20 सितम्बर, 1971 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सेवा घोषित की जा चुकी है या जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (viii) के अधीन आती है ।

[सं० ई० एल०-II-17(117)/71]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में ।

श्री० ना० विश्नोई, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971